न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राग आर.ए.एस.

राजस्व विविध मु.स. 33/2020
तारीख दायरा :– 05.10.2020

प्रार्थीगण:–

1. अशरफ खां पुत्र इबूखांजी के कायम मुकाम व वारिसान
   1/1 – नसीबन बानू पत्नी अशरफ खां
   1/2 – जरीना बानू पुत्री अशरफ खां
   1/3 – शरीफ खान पुत्र अशरफ खां
   1/4 – फारूख खान पुत्र अशरफ खां
   1/5 – सहजाद बानु पुत्री अशरफ खां
   1/6 – रफीक खान पुत्र अशरफ खां
   1/7 – रईसा बानू पुत्री अशरफ खां
   1/8 – आरीफ खान पुत्र अशरफ खां
   1/9 – आसीफ खान पुत्र अशरफ खां जातिगण– मुसलमान, निवासीगण–देसूरी, तहसील देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान।
2. मृतक मुहम्मद हुसैन पुत्र इबूखांजी जाति मुसलमान, निवासी देसूरी के विधिक उत्तराधिकारीगण
   2/1 – रहमत अली पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/2 – अल्लाबक्स खान पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/3 – शेर खां पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/4 – फरीद खां पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/5 – शौकत खां पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/6 – इन्साफ खां पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/7 – हेदर खां पुत्र मुहम्मद हुसैन जी
   2/8 – बेबी बानू पुत्री मुहम्मद हुसैन जी
   2/9 – शमा बानू पुत्री मुहम्मद हुसैन जी
   2/10 – पिन्की बानू पुत्री मुहम्मद हुसैन जी
3. मृतक समन्दर खां पुत्र इबू खांजी के विधिक उत्तराधिकारीगण
   3/1 – सुल्तान खां पुत्र समन्दर खां
   3/2 – मजीद खां पुत्र समन्दर खां
   3/3 – जिन्नत बानू पुत्री समन्दर खां
   3/4 – मुमताज बानू पुत्री समन्दर खां
   3/5 – सुन्नत बानू पुत्री समन्दर खां
   3/6 – रूकसाना बानू पुत्री समन्दर खां

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

3/7 – शहीदा बेगम पत्नी समन्दर खां

4. मृतक बशीर खां पुत्र इबू खांजी के विधिक उत्राधिकारीगण
   4/1 – लियाकत खां पुत्र बशीर खांजी
   4/2 – नवाब खां पुत्र बशीर खांजी
   4/3 – रशीद खां पुत्र बशीर खांजी
   4/4 – इरफान खां पुत्र बशीर खांजी
   4/5 – शेर बानू पुत्री बशीर खांजी
   4/6 – सुगरो बेगम पत्नी बशीर खांजी
5. अनवर खां पुत्र इबू खांजी जाति मुसलमान, निवासी देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान

–: विरूद्व :–

अप्रार्थीगण :–

1– सहीदा बानु (सईदा बानू) पत्नी याकूब खांजी
2– सलीम खां पुत्र याकूब खांजी
3– मुश्ताक खा पुत्र याकूब खांजी
4– अय्यूब खां पुत्र याकूब खांजी
5– साबीर खां पुत्र याकूब खांजी
6– रमजान खां पुत्र याकूब खांजी
7– शराफत खां पुत्र याकूब खांजी जातिगण तमाम मुसलमान, निवासीगण देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान।
8– तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1– श्री फिरोजखान शेख अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री सुशील दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.02.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 7 के मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाजरा बेगम पत्नी सत्तारखांजी पुत्री इबूखांजी जाति मुसलमान, निवासी घाणेराव ने एक राजस्व वाद संख्या 53/2011 अनवानी वादीनी हाजरा बनाम प्रतिवादीगण– मृतक मुहम्मद हुसैनजी के उत्तराधिकारीगण रहमत अली व अन्य का अंतर्गत धारा 88, 89, 53,

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में मौजा सरहद देसूरी में स्थित कृषि भूमि आराजी ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर किस्म बा. अव्वल में वादीनी की खातेदारी का 0.0515 हेक्टर हिस्सा घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी ख. नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर का बंटवारा कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर के संबंध में तनकियात विरचित की गई एवं उक्त वाद में दिनांक 7.2.2013 को प्राथमिक डिक्री सादिर की जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीनी की खातेदारी का हिस्सा रकबा 0.0515 हेक्टर घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख.न. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर का बंटवारा किये जाने हेतु आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा पक्षकारों के मध्य किया जाकर प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश तहसीलदार देसूरी को किया गया।

प्रकरण दिनांक 8.6.2016 को न्याय आपके द्वार शिविर देसूरी में पेश हुआ। प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा वाद में बंटवारा की अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

प्रार्थी अशरफ खां द्वारा कुछ समय पूर्व सरहद देसूरी में स्थित प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि ख.न. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर किस्म गै.मु. बाडा की जमाबंदी की प्रति लेने हेतु पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकोर्ड देख कर बताया कि यह जमीन तो शहीदा बानु पत्नी याकूबखां वगैरह के खाते में दर्ज हुई है। जिस पर प्रार्थीगण की ओर से उक्त बंटवारा के राजस्व वाद की सम्पूर्ण पत्रावली की नकलों हेतु आवेदन दिनांक 10.9.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं इसकी नकले दिनांक 23.9.2020 को प्राप्त होने पर पता चला कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 ने तत्कालीन पटवारी हल्का देसूरी से सांठ–गांठ एवं मिली भगत कर वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2459 के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के बंट की भूमि ख.नं. 2459/2 रकबा 0.1030 हेक्टर के साथ बिना किसी आदेश या प्राथमिक डिक्री के बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अन्य भूमि ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर जो कि वादग्रस्त आराजी से काफी दूर अन्यत्र स्थान पर स्थित है, को बेईमानीपूर्वक इनके बंट में दर्ज करवा दिया जबकि बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए नक्शा में सिर्फ खसरा नम्बर 2459 का ही बंटवारा किए जाने का उल्लेख है। तत्कालीन पटवारी ने बड़ी चतुराई से अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 से मिलावट कर एवं मिलीभगत कर इन्हें नाजायज लाभ पहुंचाने की बदनियत से बिना किसी प्राथमिक डिक्री या आदेश के अपनी मर्जी से वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2459 के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के बंट व हिस्से की भूमि ख.नं. 2459/2 रकबा 0.1030 के साथ कतई गलत रूपेण अंकित कर दिया जो गैरकानूनी एवं अनुचित है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट पर तत्कालीन तहसीलदारजी देसूरी द्वारा हल्का पटवारी पर विश्वास कर बिना जांच पडताल किए एवं बिना प्राथमिक डिक्री का अवलोकन किए हस्ताक्षर कर दिए एवं न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई, जिस पर न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट के आधार पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

सद्भावनापूर्वक दिनांक 8.6.2016 को अंतिम निर्णय एवं बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसमें उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण के बंट में प्रार्थीगण की अन्य भूमि ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर भी गलती से दर्ज हो गया है, जिसे न्याय हित में सुधारा जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री से ख.नं. 1429/3488 को डिलीट (हटाया) जाना आवश्यक है।

उक्त राजस्व मूल वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर का ही बंटवारा कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया एवं उक्त खसरा ही उक्त वाद की विषयवस्तु थी एवं प्राथमिक डिक्री भी वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में ही न्यायालय द्वारा सादिर की गई जिससे बंटवारा प्रस्ताव भी प्राथमिक डिक्री में वर्णित ख.नं. के संबंध में ही कानूनन प्रस्तुत किया जा सकता था एवं उसी अनुरूप वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर की ही अंतिम डिक्री कानूनन सादिर की जा सकती थी किन्तु ऊपर वर्णित अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की मिलीभगत से मात्र तत्कालीन पटवारी हल्का की गंभीर गलती से अप्रार्थीगण को बेईमानीपूर्वक फायदा पहुंचाने की कुचेष्टा मात्र से गलतरूपेण बिना किसी आधार के बिना प्राथमिक डिक्री में दर्ज प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर जिसका न तो वाद पत्र में उल्लेख है एवं न ही प्राथमिक डिक्री में उल्लेख है, को बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट में अप्रार्थीगण के बंट में दर्ज कर दिए जाने से उक्त राजस्व मूल वाद के अंतिम निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा में उक्त गंभीर गलती एवं त्रुटी हुई है, जिसे न्याय हित में सुधारा जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है एवं अप्रार्थीगण के बंट में गलत रूपेण दर्ज किए उक्त अन्य प्रार्थीगण ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर संशोधित अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर्चा जारी किया जावे या इस संबंध में आदेशिका में उक्त गलती को सुधारे जाने का आदेश पारित किया जावे कि उक्त मूल राजस्व वाद संख्या 53/2011 में दिनांक 8.6.2016 को पारित अंतिम निर्णय एवं अंतिम डिक्री में से उक्त खसरा नंबर 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर हटाया जावे एवं इस संबंध में अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर्चा पर नोट अंकित किया जावे एवं इसकी पालना में तहसीलदार देसूरी को आदेश प्रदान किया जावे कि उक्त संशोधित अनुसार ग्राम देसूरी के ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खाता जमाबंदी से हटाया जाकर पूर्ववत इसके खातेदारों के नाम खातेदारी का दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे। अन्यथा अनावश्यक ही प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी। मूल वाद पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां साथ प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त मूल राजस्व वाद की पत्रावली तलब फरमाई जाकर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त मूल राजस्व वाद संख्या 53/2011 में दिनांक 8.6.2016 को न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा में उक्त हुई गलती एवं त्रुटि को सुधारे जाने हेतु अंतिम निर्णय एवं डिक्री में अप्रार्थीगण के बंट में गलत रूपेण दर्ज किए उक्त ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर संशोधित निर्णय एवं डिक्री पर्चा जारी किया जावे या इस

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

संबंध में आदेशिका में उक्त गलती को सुधारे जाने का आदेश पारित करावे कि उक्त राजस्व मूल वाद संख्या 53/2011 में दिनांक 8.6.2016 को पारित अंतिम निर्णय एवं अंतिम डिक्री में से उक्त ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर हटाया जाता है एवं इस संबंध में अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर्चा पर नोट अंकित किया जावे एवं इसकी पालना में तहसीलदार देसूरी को आदेश प्रदान करावे कि उक्त संशोधन की पालना में मौजा ग्राम देसूरी के ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खाता जमाबंदी से हटाया जाकर पूर्ववत गत जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 अनुसार इसके खातेदारों के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदारी की दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे एवं उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार देसूरी को तहरीर जारी करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर दिए गए। अंतिम अवसर दिनांक 31.3.2021 को दिया गया। उसके बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.8.2021 को जवाब बंद किया गया।

प्रार्थी अशरफ खां स्वयं की इस दौरान मृत्यु होने से दिनांक 2.9.2021 को उनके कायम मुकाम वारिसान को रिकोर्ड पर लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया एवं संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसकी प्रतियां अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दिलाई गई। प्रार्थीगण के कायम मुकाम वारिसान को रिकोर्ड पर लेने के आदेश दिए गए तत्पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि हाजरा बेगम पत्नी सत्तारखांजी पुत्री इबूखांजी जाति मुसलमान निवासी घाणेराव ने एक मूल राजस्व वाद संख्या 53/2011 दिनांक 6.4.2011 को न्यायालय में अनवानी वादीनी बनाम प्रतिवादीगण मृतक मुहम्मद हुसैन के उत्तराधिकारीगण रहमत अली व अन्य का अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत सरहद देसूरी स्थित कृषि भूमि आराजी ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर में वादीनी की खातेदारी का 0.0515 हेक्टर हिस्सा घोषित करते हुए ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेक्टर भूमि का बंटवारा कराने हेतु प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा विधी अनुरूप तनकियात विरचित कर वाद में दिनांक 7.2.2013 को वादग्रस्त आराजी में वादीनी की खातेदारी का हिस्सा रकबा 0.0515 हेक्टर घोषित कर ख.नं. 2459 रकबा 0.6700 हेटर का बंटवारा पक्षकारों के मध्य किए जाने की प्राथमिक डिक्री आदेश जारी कर तहसीलदार देसूरी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश दिए गए।

पत्रावली दिनांक 8.6.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प देसूरी में पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तीन वर्षों में नहीं कर शिविर के रोज दिनांक 8.6.2016 को ही फर्द मौका बनाकर, नजरी नक्शे के साथ बंटवारा प्रस्ताव में अप्रार्थीगण के साथ मिलकर बेईमानीपूर्वक नाजायज लाभ पहुंचाने बदनियति से अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 2459/2 रकबा 0.1030 हेक्टर के साथ बिना किसी आदेश के पटवारी ने

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

अपनी मन मर्जी से बटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अन्य भूमि जो अन्यत्र स्थान पर स्थित है। ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को इनके बंट में दर्ज कर दी गई जो दिनांक 8.6.2016 की मौका फर्द से स्पष्टतया प्रतीत है। जो सर्वथा गैर कानूनी एंव अनुचित है।

पटवारी हल्का देसूरी ने गलत व मिलावट कर उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना में शिविर में दिनांक 8.6.2016 को प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर वाद में बंटवारा का अंतिम निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित हो गई। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के बंट में प्रार्थीगण की अन्य भूमि ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर ख.नं. 2459/2 रकबा 0.1030 हेक्टर के साथ गलती एवं त्रुटि से दर्ज हो गया है जिसे न्याय हित के सुधारा जाकर मूल वाद संख्या 53/2011 में दिनांक 8.6.2016 को पारित बंटवारे का अंतिम निर्णय एवं डिक्री में से उक्त ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर हटाने के आदेश प्रदान करावे एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर्चा पर नोट अंकित किया जावे एवं तहसीलदार देसूरी को आदेशित किया जावे कि उक्त संशोधन आदेश की पालना के मौजा देसूरी के खसरा नंबर 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खाता जमाबंदी से हटाया (डिलीट) किया जाकर पूर्ववत गत जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 अनुसार इसके खातेदारों के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदारी की दर्ज की जाकर दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार देसूरी को तहरीर जारी की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 प्रकरण में बहस नहीं कर आदेश तालिका पर हस्ताक्षर कर नॉ ऑब्जेक्शन लिखा गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के संलग्न मूल वाद संख्या 53/2011 में पारित बंटवारा की अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.6.2016 मय पूर्व पटवारी हल्का देसूरी द्वारा मौका फर्द बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 8.6.2016 मय सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. विधि अनुरूप स्वीकार योग्य पाया जाता है। लोक अदालत केम्प कोर्ट 2016 में केम्प देसूरी में दिनांक 8.6.2016 को मूल राजस्व वाद संख्या 53/2011 में सुनवाई हेतु पेश हुआ। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तत्कालीन पटवारी हल्का देसूरी द्वारा शिविर के दिन ही मौका फर्द बनाई जाकर पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के बंट में ख.नं. 2459/2 रकबा 0.1030 हेक्टर किस्म बा. अ. लगान 0.72 पैसे का उल्लेख विधि सम्मत है। इसके साथ ही पटवारी हल्का ने बिना किसी अधिकारिता के बिना किसी आदेश अपनी मर्जी से (मेलाफाईड इंटेशन) से गलतरूपेण अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने के इरादे से अन्य विधिक बंट के साथ मौका फर्द में ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर भूमि दर्ज कर मौका फर्द पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय केम्प कोर्ट देसूरी में प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त भूमि का न तो वाद पत्र में तथा न ही प्राथमिक डिक्री में उल्लेख है। पटवारी हल्का द्वारा जानबूझकर ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर अप्रार्थीगण के बंट में दर्ज करना एक गंभीर गलती को दर्शाता है जिसके लिए तत्कालीन पटवारी हल्का देसूरी दोषी है।

पटवारी हल्का की उक्त गलती से इसी बंटवारा प्रस्वाव (रिपोर्ट) पर केम्प में मूल वाद संख्या 53/2011 में बंटवारा का अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी हो गई है जो न्यायालय की गलती एवं त्रुटि होना प्रतीत होता है। उक्त त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मूल राजस्व वाद संख्या 53/2011 में दिनांक 8.6.2016 को पारित बंटवारे का मूल अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर्चा में से ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को डिलीट किया जाकर अप्रार्थीगण के बंट से हटाया जाता है। उक्त त्रुटि के निर्णय एवं डिक्री पर्चा में से लाल स्याही से हटाया जावे एवं नोट अंकित किया जावे। इस निर्णय को मूल वाद संख्या 53/2011 का भाग समझा जावे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी को निर्णय की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ भेजी जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम देसूरी के ख.नं. 1429/3488 रकबा 0.0400 हेक्टर को अप्रार्थीगण 1 से 7 के खाता जमाबंदी से हटाया जाकर पूर्ववत जमाबंदी के अनुसार इसके खातेदारों के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदारी की दर्ज की जाकर दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner